संख्या- 45/2022//।/158112/2022/001-71-2002-002-7-2021

प्रेषक,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के कार्मिकों के वेतन एवं गैर वेतन मद में आवश्यक व्ययों के वहन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी0बी0एम0आर0/ एफ.एण्ड ए./2021-22/02, दिनांक 04.04.2022 एवं पत्र संख्या- सी0बी0एम0आर0/ एफ.एण्डए./2021-22/01, दिनांक 04-04-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमश: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वेतन एवं गैर वेतन मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सेण्टर को 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) एवं 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत क्रमश: रू0 257.96 लाख एवं 128.33 लाख अर्थात कुल रू0 386.29 लाख (रूपये तीन करोड़ छियासी लाख उन्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्रम	संस्थान	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	सी0बी0एम0आर0 लखनऊ	"2210-05-105-03-0312-सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	257.96
			20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	128.33
			योग-	386.29

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) वेतन मद में रू0 257.96 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तावन लाख छानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या- 031 लेखा शीर्षक "2210-05-105-03-0312- सेण्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ" एवं (2) गैर वेतन मद में रू0 128.33 लाख (रुपये एक करोड़ अट्ठाइस लाख तैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या- 031 लेखाशीर्ष "2210-05-105-03-0312 सेण्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ- 20 सहायता अनुदान- सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध</u>

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यशकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3) निदेशक, सी0बी0एम0आर0 एवं वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30-12-2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29-03-2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि का व्य्य विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
6) धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) वेतन मद में रुपये 2,57,96,000 (रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख छानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210-05-105-03-0312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ (*2*) गैर वेतन मद में रुपये 1,28,33,000 (रुपये एक करोड अट्ठाइस लाख तैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 031 **लेखा शीर्षक** 2210-05-105-03-0312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ **मानक मद-** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-45/2022//1/158112/2022/001-71-2002-002-7-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0 लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।